>

Title: Need to maintain status-quo-ante with regard to quota of seats reserved for SCs/STs in Chhattisgarh Legislative Assembly and for Lok Sabha from the State.

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का परिसीमन किया गया है, जिसमें विधानसभा की 90 सीटें हैं तथा लोक सभा की 11 सीटें हैं। उक्त में अनुसूचित जाति की लोक सभा में दो सीट और अनुसूचित जनजाति की चार सीट आरक्षित थीं। दस सीटें विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति की तथा 34 सीटें अनुसूचित जनजाति की विधानसभा में आरक्षित थीं। नए परिसीमन से विधानसभा में पांच सीटें अनुसूचित जनजाति की कम हो गई हैं तथा लोक सभा में अनुसूचित जाति की एक सीट कम हो गई है।

छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाने का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति का विकास व उत्थान तथा उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की कल्पना को साकार करना था। उपरोक्त संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटें कम होने के कारण उनके मौलिक अधिकारों को छीना गया है, जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में भारी असंतोÂ ा एवं आक्रोश है तथा वे अपने अधिकारों के प्रति चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक बहुत पिछड़ा प्रदेश है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में नए परिसीमन से उत्तर पूर्व के चार राज्य और एक पड़ौसी नए राज्य झारखंड को जिस आधार पर छूट दी गई है, उसी तरह की छूट छत्तीसगढ़ में भी लागू होनी चाहिए, अन्य पांच राज्य की तरह छत्तीसगढ़ भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य है। इसलिए विधानसभा एवं लोक सभा की सीटों को कम न करते हुए सभी आरक्षित सीटों को यथावत रखा जाए।